संख्या-73/2015/2024/बयालिस-2015-44(बजट)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 08 अक्टूबर, 2015**

विषय- इलाहाबाद में स्थित म्योहाल के आधुनिकीकरण के कार्य हेतु पी0एल0ए0 में जमा धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-565/नि0खे0का0 पत्रा0/ 2013-14, दिनांक 20 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 656/बयालिस-2014-44(बजट)/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा जनपद इलाहाबाद में स्थित म्योहाल के आधुनिकीकरण के कार्य हेतु रू0 132.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 66.24 लाख अवमुक्त करते हुए तथा शासनादेश संख्या- 908/बयालिस-2014-44(बजट)/2013, दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा उक्त कार्य हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष क्रमश: रू0 40.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर कार्यदायी संस्था पैकफेड के पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण शासनादेश संख्या- 55/992/बयालिस-2015-44(बजट)/2013, दिनांक 09 जुलाई, 2015 द्वारा जनपद इलाहाबाद में स्थित म्योहाल के आधुनिकीकरण के कार्य हेतु रू0 127.63 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि लगभग व्यय होने के दृष्टिगत उक्त कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु पी0एल0ए0 में रखी धनराशि क्रमश: रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1)- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुसार किया जाना

2.....

http://shasanadesh.up.nic.in